संख्या–पी–140 /14–2–2016–800(136)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर 2016**

विषयः– अलीगढ़–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच093) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700 से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन, बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षो के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–506/समेकित/7444/2014/यूपी–14, दिनांक–09–9–2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अलीगढ़–मुरादाबाद सेक्शन (एन0एच093) के चौड़ीकरण किये जाने हेतु अलीगढ़ में किमी0 85.700से 100.372 तक 7.4226 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 250 वृक्षों के पातन,बुलन्दशहर में किमी0 126.000 से 133.860 तक 3.5760 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 61 वृक्षों के पातन, सम्भल में किमी0 142.220 से 205.000 तक 32.7792 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3777 वृक्षो के पातन तथा मुरादाबाद में किमी0 205.000 से 232.000 तक 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 454 वृक्षों के पातन कुल 58.2630 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 4542 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण)अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी–140 (1)/14–2–2016–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद।
3– जिलाधिकारी, अलीगढ, बुलन्दशहर, सम्भल एवं मुरादाबाद।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ, बुलन्दशहर, सम्भल एवं मुरादाबाद।
5– परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0,पी0आई0यू0,मुरादाबाद।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।